उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या–242/XX–4/2021–01(36)/2020
देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2021

कार्यालय आदेश

उप कारागार, रूड़की में निरूद्ध विचाराधीन बंदी हरि सिंह उर्फ हरीश पुत्र श्री रघुवीर सिंह दिनांक 02–03–2008 को दोपहर 02:00 से 04:00 बजे के मध्य स्वनिर्मित रस्सी की सीढी से कारागार से पलायित कर गया। तत्समय बैरक के प्रभारी श्री निरंजन सिंह, बंदीरक्षक, श्री हरशरण सिंह (भूतपूर्व सैनिक) तथा गिर्दा पर श्री राम अवतार सत्यार्थी ड्यूटी पर तैनात थे। उक्त घटना में कारागार मुख्यालय द्वारा दिनांक 02.03.2008 को श्री निरंजन सिंह, बंदीरक्षक एवं अन्य के विरूद्ध आई0पी0सी0 की धारा–223 के अन्तर्गत था0 गंगनहर, रूड़की, हरिद्वार में वाद पंजीकृत कराया गया। उक्त के अतिरिक्त प्रकरण मे श्री निरंजन सिंह को पृथम दृष्टया दोषी पाते हुए दिनांक 03.03.2008 के द्वारा निलम्बन के आदेश निर्गत करते हुए श्री सिंह को जिला कारागार, पौड़ी में सम्बद्ध किया गया। कारागार मुख्यालय के आदेश संख्या–502/17/02, दिनांक 10.06.2008 के द्वारा श्री निरंजन सिंह का निलम्बन समाप्त किया गया।

2– प्रकरण में विभागीय जॉच हेतु कारागार मुख्यालय के आदेश दिनांक 07.03.2008 के द्वारा श्री बी0पी0 पाण्डेय, तत्कालीन कारापाल को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा माह अप्रैल, 2008 को श्री निरंजन सिंह को आरोप पत्र निर्गत करते हुए उन्हें कारागार नियमावली के प्रस्तर–747, 748 1118(10), 1190, 1191, 1193(3)(5), 833 एवं प्रिजन एक्ट–1894 के अध्याय–3(8) एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के प्रस्तर–3(1)(2) के प्राविधानों के उल्लंघन के लिए आरोपित किया गया। तद्कम में श्री निरंजन सिंह द्वारा आरोप पत्र के सम्बन्ध मे अपना प्रत्युत्तर दिनांक 20.05.2008 जॉच अधिकारी को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उक्त घटना में उन पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए स्वयं को पूर्णतया निर्दोष बताया गया। जॉच अधिकारी, श्री बी0पी0 पाण्डेय द्वारा प्रकरण की जॉच आख्या कारागार मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

3– प्रकरण में अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार द्वारा जॉच कार्यवाही सम्पन्न कर अपनी आख्या/रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रट, हरिद्वार के पत्र दिनांक 02.06.2008 के माध्यम से कारागार मुख्यालय को उपलब्ध कराई गई, जिसमें उनके द्वारा प्रकरण में श्री निरंजन सिंह व अन्य कार्मिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का सजगता से उत्तरदायित्यों का निर्वहन न करने के कारण ही उक्त पलायन की घटना घटित हुई है।

4– विचाराधीन बंदी हरि सिंह उर्फ हरीश के पलायन की घटना में श्री निरंजन सिंह पर भा0द0सं0 की धारा–223 में पंजीकृत अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला जज, रूड़की, हरिद्वार के पारित आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा श्री निरंजन सिंह पर बंदी पलायित की घटना में कारागार विभाग द्वारा लगाये गये आरोपों को सही न पाते हुए श्री निरंजन सिंह को उक्त घटना में निम्न आदेश पारित किये गये :–

Thus on the basic of discussions recorded above, this court is of the considered opinion that accused persons namely Niranjan Singh S/o Shyam singh Bandi Rakshak, Ram Avtar Satyarthi S/o Pancham, Bandi Rakshak And Harssharn S/o Karan Singh Ex. Army Personnel is not guilty of the offence punishable U/Sec. 223 of Indian Penal Code, 1860, and accordingly acquitted for the offence U/Sec. 223 of Indian Penal Code, 1860, Accused persons are on bail during trail, their bail-bonds shall remain further intact for the purpose of appeal. Let the copy of this judgement be given to accused forthwith and free of cost.

इस प्रकार श्री निरंजन सिंह, बंदीरक्षक को आई0पी0सी0 की धारा–223 के अन्तर्गत योजित वाद में बरी कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध कारागार विभाग के द्वारा कोई अपील न्यायालय में योजित नहीं की गई। महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड के द्वारा वर्ष 2008 में नियुक्त जॉच अधिकारी के नियुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए 10 वर्ष पुरानी मजिस्ट्रियल जॉच आख्या के आधार पर महानिरीक्षक मुख्यालय के आदेश संख्या–1694/वि0का0/उप कारागार, रूड़की/08, दिनांक 27.12.2018 के द्वारा श्री निरंजन सिंह को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2010 के प्रस्तर–7(1) की व्यवस्था के अन्तर्गत उनकी अभिरक्षा से बंदी पलायन की घटना में दोषी पाये जाने पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2010 के प्रस्तर–03 के अधीन पांच वर्ष की वार्षिक वेतनवृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

5– महानिरीक्षक कारागार द्वारा उनके आदेश दिनांक 27.12.2018 में उत्तराखण्ड अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2010 के प्रस्तर–03 के अनुसार श्री निरंजन सिंह की पॉच वेतनवृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है, किन्तु प्रश्नगत नियमावली के प्रस्तर–03, के प्राविधान निलम्बन से सम्बन्धित है, जबकि महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त प्राविधान के आधार पर श्री निरंजन सिंह को पॉच वेतनवृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

6– मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.04.2017 में दोषमुक्त किये जाने के बावजूद कारागार मुख्यालय के आदेश दिनांक 27.12.2018 द्वारा वर्ष 2008 की मजिस्ट्रियल जॉच आख्या में उल्लिखित उन्हीं तथ्यों के आधार पर दण्डादेश पारित किया गया, जो मा0 न्यायालय अपर जिला जज, रूड़की, हरिद्वार में सिद्ध नहीं हो पाये। उक्त के अतिरिक्त जेल मैनुअल के प्रस्तर–1119(1) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मा0 न्यायालय द्वारा किसी अपराध में बरी कार्मिक को विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दण्डित नहीं किया जा सकता है। तथापि जेल मैनुअल के प्रस्तर–1119(2) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार तकनीकी आधारों पर बरी अथवा न्यायिक अन्वेषण द्वारा व्यवस्थित किये गए तथ्यों से यह दर्शित होने पर की अपचारी कार्मिक का आचरण एवं चरित्र जेल अधिकारियों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो महानिरीक्षक कारागार अपने कारणों को लिखने के पश्चात् ऐसे अपराध आचरण और चरित्र के लिए विभागीय संज्ञान कर सकते है। किन्तु महानिरीक्षक कारागार द्वारा पारित दण्डादेश में इस प्रकार के कारणों को उल्लिखित नहीं किया गया है

7– श्री निरंजन सिंह, बंदीरक्षक पर लगाये गये आरोप एवं पारित दण्डादेश के क्रम में निम्नलिखित प्रकियाओं का अनुपालन नहीं किया गया :–

1. प्रकरण में तत्कालीन जॉच अधिकारी द्वारा अनुशासनिक अधिकारी/महानिरीक्षक कारागार को जॉच रिपोर्ट प्रेषित न किया जाना।
2. प्रश्नगत दण्डादेश पारित होने से पूर्व आरोपों के विरूद्ध सफाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न करना।
3. प्रश्नगत दण्डादेश का आधार मजिस्ट्रियल जॉच के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान न करना।
4. प्रश्नगत बंदी पलायन की घटना में 10 वर्ष पश्चात् दण्डादेश पारित किया गया। यदि 2008 की मजिस्ट्रियल जॉच आख्या के अधार पर ही दण्ड दिया जाना था तो इतना विलम्ब किया जाना स्पष्ट नहीं है।
5. प्रकरण में मा0 न्यायालय, जिला जज, रूड़की हरिद्वार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2017 के द्वारा श्री निरंजन सिंह को आरोप मुक्त किये जाने के उपरान्त भी महानिरीक्षक कारागार द्वारा जेल मैनुअल के प्रस्तर–1119(2) का पालन किये बिना श्री निरंजन सिंह को दण्ड दिया गया, जबकि अपचारी कार्मिक पर लगाये गय आरोप मा0 न्यायालय में सिद्ध नहीं पाये गये।

इस प्रकार प्रकरण में उपर्युक्त सुसंगत तथ्यों के अन्वेषणोपरान्त उत्तराखण्ड अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 (यथासंशोधित 2010) के अन्तर्गत विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया एवं जेल मैनुअल के संगत प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री निरंजन सिंह, बंदीरक्षक, वर्तमान तैनाती–जिला कारागार, रामपुर (उ0प्र0) पर महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड द्वारा पारित दण्डादेश को अपास्त करते हुए दण्डादेश की तिथि 27.12.2018 से श्री निरंजन सिंह की पॉच वेतन वृद्धियां बहाल की जाती है। तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

(अतर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 242/XX–4/2021–1(18)/2019, तद्दिनांक

प्रतिलपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर, उ0प्र0।
9. श्री निरंजन सिंह, बंदीरक्षक, जिला कारागार, रामपुर (उ0प्र0)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अखिलेश मिश्रा)
उप सचिव